न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केस नं0– 32/2020–21

धर्मा पहाड़िया बनाम् रैयान मौजा–कौमभीठा

–: आदेश :–

[illegible]

वर्तमान प्रक्रिया आवेदक धर्मा पहाड़िया, पे0–बड़ा मैसा पहाड़िया, सा0–लटेरागोड़ा, थाना–बोआरीजोर व अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–कौमभीठा नं0–22P के ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर का पत्रांक–103/रा0 दिनांक–28.01.2021 एवं पत्रांक–101/रा0 दिनांक–13.02.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–कौमभीठा नं0–22P बेचिरागी प्रधानी मौजा है। राजस्व अभिलेख पंजी–II में देवा मांझी प्रधान का नाम दर्ज है। आवेदक धर्मा पहाड़िया, पे0–बड़ा मैसा पहाड़िया, साकिन–लटेरागोड़ा वंशावली के आधार पर अंतिम मृत प्रधान देवा मांझी का परपोता है एवं एतवारी पहाड़िया, पे0–स्व0 चान्दु पहाड़िया, साकिन–छोटा पोटमा पूर्व प्रधान के वंशज में नहीं आते है। आवेदक धर्मा पहाड़िया को प्रधान नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया है।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक एतवारी पहाड़िया, साकिन–छोटा पोटमा प्रधान के वंशज में नहीं आने के कारण संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत दाखिल आवेदन को खारिज की जाती है। देवा पहाड़िया एवं धर्मा पहाड़िया दोनों पे0–स्व0 चान्दु पहाड़िया, साकिन–लेटरागोड़ा ने शपथ पत्र सं0–4379 दिनांक–16.02.2023 के द्वारा आवेदक धर्मा पहाड़िया को प्रधानी नियुक्ति हेतु अनापत्ति दाखिल की गई है।

अतः आवेदक के आवेदन के विरूद्ध उक्त मौजा के 16 आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने, पूर्व प्रधान के अन्य वंशज के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अनापत्ति दाखिल करने एवं अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–कौमभीठा नं0–22P का ग्राम प्रधान धर्मा पहाड़िया को नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त ग्राम प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त मौजा की वार्षिक खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

17.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

17.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.12 13:26:16 +05:30
Location: 192.168.8.115

F/Order.